संख्या-235/2020/386/22-2-2018-17(125)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 जून, 2020***

विषय:- नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रजन्ना पुत्री श्री जफ्फू, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8622/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-17-11-2016) दिनांक-08-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रजन्ना पुत्री श्री जफ्फू, ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई हालपता मो0-फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जिला-हरदोई की रहने वाली है। दोनों पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में महिला बन्दी ने दिनांक 03.03.1994 को अपरान्ह लगभग 5:45 बजे 19 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुरसू ऊर्फ मुशीर अली के घरों पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिये घरों के अन्दर छिप कर दरवाजे बन्द कर लिये, जिन्हें मारने के नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे कुल 12 लोगों की मृत्यु हो गयी, जिनमें नावालिग बच्चे तथा महिलायें भी शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/94 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 436, 147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 17.08.2000 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया गया है कि बन्दी का 20 वर्ष से पूर्व रिहा नहीं किया जायेगा। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2016 तक 21 वर्ष, 11 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 08 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दोनों पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.03.1994 को मुरसू ऊर्फ मुशीर अली के घर पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की जिसमें कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिये घरों के अन्दर छिप कर दरवाजे बन्द कर लिये, जिन्हें मारने की नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर 12 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी रजन्ना पुत्री श्री जफ्फू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रजन्ना (बन्दी संख्या-1183/एन0बी0एन0) पुत्री श्री जफ्फू, ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई हालपता मो0-फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जिला-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-235/2020/386(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन / आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-235/2020/386/22-2-2018-17(125)/2008

दिनांक 30 जून, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

नारी बन्दी निकेतन/आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रजन्ना (बन्दी संख्या-1183/एन0बी0एन0) पुत्री श्री जफ्फू, ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई हालपता मो0-फतेहगंज, थाना-मल्लावां, जिला-हरदोई की रहने वाली है। दोनों पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में महिला बन्दी ने दिनांक 03.03.1994 को अपरान्ह लगभग 5:45 बजे 19 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुरसू ऊर्फ मुशीर अली के घरों पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिये घरों के अन्दर छिप कर दरवाजे बन्द कर लिये, जिन्हें मारने के नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे कुल 12 लोगों की मृत्यु हो गयी जिनमें नावालिग बच्चे तथा महिलायें भी शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/94 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 436, 147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 17.08.2000 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया गया है कि बन्दी का 20 वर्ष से पूर्व रिहा नहीं किया जायेगा। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2016 तक 21 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दोनों पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03.03.1994 को मुरसू ऊर्फ मुशीर अली के घर पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की जिसमें कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिये घरों के अन्दर छिप कर दरवाजे बन्द कर लिये, जिन्हें मारने की नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लगाकर 12 लोगों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी रजन्ना पुत्री श्री जफ्फू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in